

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अप्रैल 2026—चैत्र 13, शक 1948

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 मार्च 2026

क्रमांक ESTB-102(1)/192/2026-O/O DS (GAD-2).—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रजत बंसल, भा.प्र.से. (2012), विशेष सचिव, सुशासन एवं अभिसरण विभाग तथा अति. प्रभार संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पदस्थ करते हुये आयुक्त, जनसंपर्क, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संवाद, संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 दिसम्बर 2025

क्रमांक File No. Land-44/3/2025-MRD. — राज्य शासन एतद्वारा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के पक्ष में जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी स्थित हिद्दर ब्लॉक के कुल रकबा 28.60 वर्ग कि.मी. एवं बोदल ब्लॉक के कुल रकबा 21.75 वर्ग कि.मी. निम्नलिखित तालिका में दर्शित क्षेत्र को खनिज कॉपर एवं ऐसोसियेटेड मिनरल्स के पूर्वेक्षण कार्य हेतु खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-7(1) सहपठित खनिज (परमाणु और हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम, 67(1) के तहत जारी दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया जाता है :—

(अ) हिद्दर ब्लॉक, रकबा 28.60 वर्ग कि.मी. को-ऑर्डिनेट्स क्षेत्र :—

Sr. No.	Hiddar Block -Co-Ordinates टोपोशीट संख्या 64डी/14 (F44U10)		
	Corner Points	Longitude	Latitude
1	H1	20°41'00"N	80°42'00"E
2	H2	20°41' 00 " N	80°45'00"E
3	H3	20°38'00"N	80°42'00"E
4	H4	20°38'00"N	80°45'00"E

(ब) बोदल ब्लॉक, रकबा 21.75 वर्ग कि.मी. को-ऑर्डिनेट्स :—

Sr. No.	Bodal Block-Co-Ordinates टोपोशीट संख्या 64डी/14 (F44U14)		
	Corner Points	Longitude	Latitude
1	B1	20°42'00"N	80°45'00"E
2	B2	20°42'00"N	80°46'00"E
3	B3	20° 41' 00" N	80°46'00"E
4	B4	20°41'00"N	80°47'00"E
5	B5	20°38'00"N	80°47'00"E
6	B6	20°38'00"N	80°45'00"E

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 17 फरवरी 2026

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/2348/202403053700001/03/अ-82/2023-24.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पाली	भादा	0.508 हेक्टेयर	भादा व्यपवर्तन योजना के दायीं तट नहर निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 09-04-2026 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भादा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	भादा व्यपवर्तन योजना के दायीं तट नहर निर्माण
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	08 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	08 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 1040.19 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से 162 हे. खरीफ, 32 हे. रबी फसल कुल 194 हे. क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य प्रस्तावित है.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 17 फरवरी 2026

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/2350/202503052900003/02/अ-82/2024-25.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पाली	जरमौहा	0.584 हे.	गुंजननाला व्यपवर्तन योजना के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 08-04-2026 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत जरमौहा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	गुंजननाला व्यपवर्तन योजना के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	11 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	11 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 1121.23 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से 315 हे. खरीफ क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य प्रस्तावित है.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

धमतरी, दिनांक 16 फरवरी 2026

प्रकरण क्रमांक/1882/202503130400041/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	अरौंद प.ह.नं. 41	0.0412	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी जिला धमतरी.	ए.डी.बी. लोन-3 परियोजना अंतर्गत बुढेनी-नयापारा, परसवानी, मगरलोड, मोहदी, बोरसी, भोयना मार्ग का पुर्ननिर्माण एवं उन्नयन कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 16 फरवरी 2026

प्रकरण क्रमांक/1883/20253130400042/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	लीलर प.ह.नं. 40	0.0406	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी जिला धमतरी.	ए.डी.बी. लोन-3 परियोजना अंतर्गत बुढेनी-नयापारा, परसवानी, मगरलोड, मोहदी, बोरसी, भोयना मार्ग का पुर्ननिर्माण एवं उन्नयन कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

कोण्डागांव, दिनांक 2 मार्च 2026

क्रमांक/613/202403200400014/अ-82/भू-अर्जन/2023-24.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	केशकाल	सेन्दूरमेटा	0.9298	अनुविभागीय अधिकारी (रा.), एवं भू-अर्जन अधिकारी केशकाल, जिला कोण्डागांव (छ.ग.)	होनहेंड से मातेंगा मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केशकाल, जिला कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नुपूर राशि पन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

मुंगेली, दिनांक 9 मार्च 2026

क्रमांक/1580/अ.व.लि./अवकाश/2026.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-II अनुक्रमांक-04 से अधिनियम-08 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-F 3-2/1999/1/4 दिनांक 30-03-1999 में विहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं कुन्दन कुमार, कलेक्टर, जिला-मुंगेली के लिये निम्नलिखित तिथियों में कैलेण्डर वर्ष 2026 के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्र.	पर्व/त्यौहार का नाम	दिनांक	दिन	रिमार्क
01.	गणेश चतुर्थी	14 सितम्बर 2026	सोमवार	सम्पूर्ण मुंगेली जिले के लिये
02.	दशहरा (महाअष्टमी)	19 अक्टूबर 2026	सोमवार	सम्पूर्ण मुंगेली जिले के लिये
03.	शहीद वीरनारायण सिंह बलिदान दिवस	10 दिसम्बर 2026	गुरुवार	सम्पूर्ण मुंगेली जिले के लिये

टीप :— उपरोक्त तिथियों में कोषालय/उपकोषालय यथावत खुले रहेंगे.

कुन्दर कुमार
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 1st December 2025

No. 1430/Confdl./2025/II-3-14/2000(Part-V).—On the prayer made vide applications dated 13-12-2024 r/w 04-08-2025 & 01-11-2025 of Ku. Preeti, Additional Judge to the Court of Civil Judge Senior Division, Dongargarh, She is, hereby, permitted to change her name from Ku. Preeti D/o Shri P. R. Nagwanshi to Smt. Preeti Nagwanshi W/o Shri Nilesh Jagdalla and to incorporate the name of her Shusband Shri Nilesh Jagdalla in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

By Order of the Hon'ble the Chief Justice,
RAJNISH SHRIVASTAVA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2025

क्रमांक 576/दो-2-20/2019.— श्री थॉमस एक्का, तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), राजनांदगांव (छ.ग.) वर्तमान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 09-10-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2021 से 31-10-2023 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2025

क्रमांक 588/दो-2-09/2022.— श्री अनिल कुमार पाण्डेय, रजिस्ट्रार (स्थापना), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 27-10-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2025

क्रमांक 589/दो-2-22/2015.— श्री शक्ति सिंह राजपूत, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 17-10-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार,
आर. पी. देवांगन, बजट अधिकारी.